26/6/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई।
मूलवाद साक्ष्य विवाद्यकों की प्रक्रिया में नियत है। मूलवाद में अपेक्षित अनुतोष साक्ष्य का विषय है जिसके प्रकरण का उचित निस्तारण उभयपक्षगण की विस्तृत साक्ष्य अनुसार, साक्ष्यों की गुणवत्ता के अधीन किया जाना अपेक्षित है। जिस बाबत मूलवाद प्रक्रियाधीन है। परन्तु चूंकि मूल वाद स्वत्व वाले अधिकारों की घोषणा के सम्बन्धित है। जिसके संदर्भ में वाद बहुलता के दृष्टिगत अंतरिम स्थगन आदेश पूर्व से ही प्रभावी है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय--जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:11:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

प्यारली बनाम सूजी व अन्य

यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

ख्या 56/2022 (सी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
26/6/25	जिसका कोई मान्य / सक्षम प्रतिरोध अथवा खंडन अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत भी नहीं किया गया है ना ही आज दिनांक तक प्रभावी अस्थाई स्थगन के सम्बन्ध में कोई उच्च आपत्ति ही प्रभावी मंच से प्रस्तुत की गई है। जिससे मूलवाद के उचित निस्तारण तक वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित व आवश्यक समझते हैं। अतः वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत पूर्व अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 25/08/22 को ता फैसला मूल वाद स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम जैतपुर खींची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1535 रकबा 5.56 है० के विशिष्ट भू भाग का विक्रय ना करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो। बाद तामील शामिल पत्रावली हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:11:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner